निर्णय ब इजलास डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट जयपुर

प्रकरण संख्या : 157/2025 (मुन्तकिल प्रार्थना पत्र)

प्रकाश पुत्र सांवताराम जाति मीणा निवासी चन्दा बाबा की ढाणी, ग्राम विजयपुरा, तहसील व जिला जयपुर ।

प्रार्थी

बनाम

1. श्री राजेन्द्र जाखड आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी जयपुर प्रथम जिला जयपुर ।
2. श्रीमती कमला पत्नी स्व. श्री नारायण
3. पप्पू उर्फ मुकेश पुत्र स्व. श्री श्रीनारायण
4. पोखर पुत्र स्व. श्रीनारायण
5. गिर्राज पुत्र स्व. श्री रामकरण
6. श्रीमती मंगली देवी पत्नी स्व. श्री रामकरण
7. शंकर लाल पुत्र स्व. श्री कालू उर्फ काजू

   समस्त जातियान मीणा, निवासियान चन्दा बाबा की ढाणी, ग्राम विजयपुरा, तहसील व जिला जयपुर ।
8. श्रीमती धन्नी देवी पुत्री स्व. श्री कालू उर्फ काजू पत्नी श्री रामसहाय जाति मीणा निवासी श्रीराम की नांगल, वाटिका रोड, सांगानेर, जिला जयपुर।
9. प्रभू पुत्र स्व. श्री चन्दा जाति मीणा, निवासियान चन्दा बाबा की ढाणी, ग्राम विजयपुरा, तहसील व जिला जयपुर ।
10. श्रीमती लक्ष्मी देवी पुत्री स्व. श्री मंगला पत्नी जगदीश जाति मीणा, निवासी श्रीराम की नांगल, वाटिका रोड, सांगानेर, जिला जयपुर।
11. राकेश पुत्र स्व. श्री सांवता राम
12. श्रीमती गुलाब देवी पत्नी स्व. श्री सांवता राम
13. मोहन लाल पुत्र स्व. श्री सांवताराम
14. मुन्ना देवी पुत्री स्व. श्री सांवताराम पत्नी श्री गिर्राज
15. संतोष देवी पुत्री स्व. श्री सांवता राम पत्नी श्री राजू
16. शालिनी देवी पुत्री स्व. श्री सांवता राम पत्नी श्री मांगीलाल

    समस्त जाति मीणा, निवासियान चन्दा बाबा की ढाणी, ग्राम विजयपुरा, तहसील व जिला जयपुर ।

अप्रार्थी संख्या 11 से 16 को प्रारूपिक पक्षकार

17. स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया शाखा लूनियावास जरिये बैंक मैनेजर
18. सरकार जरिये तहसीलदार जयपुर, जिला जयपुर ।

अप्रार्थीगण

जिला कलक्टर
जयपुर

स्थानान्तरण प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 235 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बाबत उपखण्ड अधिकारी जयपुर प्रथम के समक्ष विचाराधीन प्रकरण संख्या 01/2022 ब उनवानी श्रीमती गुलाब देवी बनाम श्रीमती कमला व अन्य को अन्यत्र न्यायालय में स्थानान्तरित करने बाबत ।.

उपस्थितः–

1. श्री राम प्रसाद कुमावत अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से ।
2. श्री राजकुमार शर्मा अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 7 की ओर से ।

निर्णय दिनांक 03.02.2025

1. संक्षेप में मुन्तकिल प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि उपखण्ड अधिकारी जयपुर प्रथम के समक्ष प्रकरण संख्या 01/2022 ब उनवानी श्रीमती गुलाब देवी बनाम श्रीमती कमला व अन्य विचाराधीन है। जिसमें पीठासीन अधिकारी से न्याय मिलने में शंका जाहिर कर उक्त प्रकरण को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में स्थानान्तरण किये जाने का अनुरोध किया है।
2. प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। उपखण्ड अधिकारी जयपुर प्रथम से बिन्दूवार टिप्पणी तलब की गई। प्रकरण में अप्रार्थी संख्या 7 की ओर से अधिवक्ता श्री राजकुमार शर्मा ने उपस्थित होकर वकालतनामा पेश किया ।
3. बहस उभय पक्ष सुनी गई।
4. प्रार्थी के अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि पुनः कुर्रेजात रिपोर्ट तलब किये जाने के आदेश दिनांक 01.07.2024 के पश्चात निरन्तर प्रार्थी वादी तथा उसके अधिवक्ता ने न्यायालय से अनुरोध किया कि अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका दिनांक 01.07.2024 की पालना में तहसीलदार जयपुर को पुनः कुर्रेजात रिपोर्ट तलब करने हेतु तहरीर जारी की जावे, लेकिन अधीनस्थ न्यायालय के पीठासीन अधिकारी की प्रतिवादीगण व उनके अधिवक्ता से सांठ गांठ होने के कारण आज तक आदेशिका दिनांक 01.07.2024 की पालना में तहसीलदार जयपुर को तहरीर जारी नहीं की। तत्पश्चात पीठासीन अधिकारी व प्रतिवादीगण की सांठ गांठ के आधार पर प्रतिवादीगण की ओर से अधीनस्थ न्यायालय ने आदेश 7 नियम 11 सपठित धारा 151 सी पी सी के तहत एक प्रार्थना पत्र दिनांक 7.10.2024 को प्रस्तुत किया गया। जिसका जबाब प्रतिवादीगण की ओर से अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत कर दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय में लम्बित वाद पत्र की गत तारीख पेशी दिनाक 13.11.2024 नियत थी। उक्त तारीख पेशी को प्रतिवादी संख्या 6 शंकर लाल व उनके अधिवक्ता पीठासीन अधिकारी के चैम्बर में उक्त वाद पत्र को आदेश 7 नियम 11 सी पी सी में खारिज किये जाने बाबत वार्तालाप कर रहे थे। प्रार्थी को यह पूर्ण अन्देशा है कि उक्त वाद पत्र का विचरण यदि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किया जाता है तो प्रतिवादीगण व पीठासीन अधिकारी की आपसी सांठ गांठ व मिली भगत के आधार पर प्रार्थी को अधीनस्थ न्यायालय से न्याय प्राप्त होने की सम्भावना शेष नहीं रही है उपरोक्त

जिला कलेक्टर
जयपुर

Scanned with OKEN Scanner

परिस्थितियों मे प्रार्थी का उपरोक्त उनवानी वाद पत्र को न्यायिक व वास्तविक निस्तारण के लिए किसी अन्य न्यायालय में हस्तान्तरित किया जाना न्याय हित में आवश्यक है। अतः उक्त उनवानी प्रकरण को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में मुन्तकिल किये जाने का आदेश फरमावें।

5. अप्रार्थी संख्या 7 के अधिवक्ता ने प्रार्थी के तर्को का खण्डन करते हुये दलील पेश की कि पीठासीन अधिकारी द्वारा विधि अनुसार कार्यवाही की जा रही है। प्रार्थी येनकेन प्रकारेण प्रकरण के निस्तारण में विलम्ब करना चाहता है, इस कारण प्रार्थी ने काल्पनिक एवं मनघढन्त आरोप लगाते हुये यह मुन्तकिल प्रार्थना पत्र पेश किया है। अतः मुन्तकिल प्रार्थना पत्र को खारिज फरमावें।

6. उभय पक्ष के सुयोग्य अधिवक्ता को गौर से सुना गया। पत्रावली का भलीभांति अवलोकन किया गया।

7. उपखण्ड अधिकारी जयपुर प्रथम के पीठासीन अधिकारी ने अपनी टिप्पणी में मुन्तकिल प्रार्थना पत्र में लगाये गये आरोपों का खण्डन किया है। प्रार्थी ने मुन्तकिल प्रार्थना पत्र में लगाये गये आरोपों के समर्थन में कोई ठोस सबूत पेश नहीं किया है। प्रार्थी ने केवल कयास के आधार पर यह मुन्तकिल प्रार्थना पत्र पेश किया है, जो सही नहीं है। इस सम्बन्ध में न्यायिक दृष्टान्त मोहन सिंह बनाम दलपत सिंह 1984 RRD 501, राधेलाल बनाम बसन्ती लाल 1986 RRD-18 एवं मुरलीधर बनाम रामस्वरूप 1980 RRD (NSU) 61 में भी यह माना गया है कि मात्र कयास के आधार पर प्रकरण को मुन्तकिल किया जाना न्यायोचित नही है। उभय पक्ष को गौर से सुनने एवं पत्रावली का अवलोकन करने पर यह परिलक्षित होता है कि दौराने सुनवाई पीठासीन अधिकारी द्वारा प्रकरण में ऐसी कोई कार्यवाही किया जाना नहीं पाया गया है, जिससे प्रकरण को अन्यत्र न्यायालय में मुन्तकिल किया जावे। प्रार्थी द्वारा मुन्तकिल प्रार्थना पत्र में लगाये गये आरोपों की पुष्टि नहीं होती है। फलस्वरूप मुन्तकिल प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है।

8. निर्णय की प्रति पालनार्थ हस्ब कायदा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जयपुर प्रथम को प्रेषित हो। पत्रावली नम्बर से कम हो कर शुमार फैसल हो।

9. निर्णय आज दिनांक 03.02.2025 को सरे इजलास सुनाया गया ।

(डॉ॰ जितेन्द्र कुमार सोनी)
जिला कलक्टर
जयपुर